उत्तर प्रदेश शासन

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या-4/2016/541/49-01-2016-7(15)/16

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2016

कार्यालय आदेश

अधिसूचना संख्या-937/49-01-2015-07(03)/2014 दिनांक 21 मई, 2015 द्वारा नव गठित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962(अधिनियम संख्या 58 सन् 1962) की धारा 20 की उपधारा 01 बी तथा धारा 41(1) के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य गोदाम निगम (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 संबंधी अधिसूचना संख्या-430/49-01-2016-07(03)/2016 दिनांक 21-03-2016 द्वारा गठित संचालक मण्डल में दिनांक 01-04-2016 से निम्नांकित सचालकों को नामित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन या उनके नामिती।

2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन या उनके नामिती।

3- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 शासन या उनके नामिती।

4- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन या उनके नामिती।

5- मा0 मंत्री जी, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 सरकार।

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संखया- 4/2016/541(1)/49-1-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2- प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली।

3- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

6- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

9- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10- निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

11- सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

13- निबन्धक सहकारी समितियॉं, उत्तराखण्ड।

14- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

15- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम लखनऊ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रतीक संजर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in